

246 12 सीपीएसई में अर्जित छुट्टी के नकदीकरण की गणना की विधि।

अधोहस्ताक्षरी को अर्जित अवकाश के संचय के संबंध में 24/4/87 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का उल्लेख करने का निदेश हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, यह उल्लेख किया गया है कि अवकाश नियमावली आमतौर पर इस संबंध में सरकार द्वारा बनाए गए नीतिगत दिशा-निर्देशों के वृहद मानदण्डों के मद्देनजर निदेशक मंडल के अनुमोदन से एकल सार्वजनिक उद्यम द्वारा बनाए जाते हैं।

2. हालांकि कई सीपीएसई, छुट्टी नकदीकरण के प्रयोजन के लिए 30 दिनों के माह का अनुसरण कर रहे हैं, जैसा केन्द्र सरकार में किया जाता है, कुछ सीपीएसई ने 26 दिनों के माह को अपनाया हुआ है। कुछ सीपीएसई द्वारा अवकाश नकदीकरण की गणना के लिए 26 दिन के माह का इस प्रकार अपनाने ने परिहार्य लेखापरीक्षा पैराओं को आकर्षित किया है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से संदर्भ पर, डीपीई ने सीपीएसई से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को छुट्टी नकदीकरण के प्रयोजन के लिए 30 दिनों के 'माह को अपनाने के लिए मामला दर मामला आधार पर अलग से परामर्श दिया है।

3. सीपीएसई में उपर्युक्त मुद्दे के संबंध में एकरूपता लाने के लिए, सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि सीपीएसई को छुट्टी के नकदीकरण की गणना के प्रयोजनार्थ 30 दिन के माह को अपनाना चाहिए।

4. किसी भी एक ओएलएस से संबंधित सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को इस संबंध में उपयुक्त निर्देश जारी करें।

(डीपीई का.ज्ञा.सं. 2(2)/85-डीपीई(डब्ल्यूसी)जीएल-XVII/08, दिनांक 11 दिसम्बर, 2008)
